



आयकर विभाग
भारत सरकार

[भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए, असाधारण, भाग-II, धारा 3, उप-धारा (i)]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून 2017

आयकर

जी.एस.आर 546(ई) - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा आयकर नियम, 1962 को आगे संशोधित करता है।

- (1) इस नियम को आयकर (10वां संशोधन) नियम, 2017 के तौर पर कहा जा सकता है।
 - (2) यह आधिकारिक राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
2. आयकर नियम, 1962 में, उप-नियम (3) में, तालिका में, क्रमांक संख्या 1 के समक्ष, कॉलम 4 में, आंकड़ें शब्द और अक्षर 31 मई के लिए है निम्नलिखित आंकड़ें शब्द और अक्षर "15 जून" प्रतिस्थापित होगा।

(अधिसूचना सं. 42/2017, एफ.नं 370142/17/2017-टीपीएल)

(लक्ष्मी नारायण)

अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पणी : प्रमुख नियमों को अधिसूचना सं. एस.ओ. 969 (ई), दिनांक 26 मार्च, 1962 के द्वारा भारतीय राजपत्र, असाधारण, भाग-II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. एस.ओ. 1381 (ई), दिनांक 02.05.2017 के द्वारा संशोधित किया गया।